



सत्यमेव जयते

Court Case No- 115/202

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/DEV-5105/MH/7/2025-RU-I

श्री आयुष प्रसाद,
जिला कलेक्टर,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय,
ओल्ड आगरा रोड,
नाशिक-422002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in
संपर्क सूत्र: 0253 - 2578500, 2578700

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष दिनांक 18.12.2025 को अपराह्न 12:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-1, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. अनुसूचित जनजाति के श्री राजकुमार पावरा के साथ श्री कंबाईस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जातिगत शोषण, आर्थिक दोहन एवं धमकियों से संबंधित शिकायत - न्यायसंगत भुगतान व विधिक कार्रवाई हेतु।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगताने होंगे।

दिनांक 28, नवंबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर


28.11.25

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

मोहर

